

समस्त जोनल अपर आयुक्त / अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों जैसे- ए0सी0पी0, समयमान वेतनमान, स्थायीकरण, सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के समस्त भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का 7 दिनों के भीतर अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त समस्त प्रकरणों के अद्यतन स्थिति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप में ई-मेल- cta3comhqlu-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि आयुक्त महोदया को अवलोकन हेतु सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

समस्त प्रकरणों का प्रारूप

क्रम सं०	जोन / जनपद	प्रकरण / विषय वस्तु	अनिस्तारित प्रकरणों / विषय वस्तु की संख्या कर्मचारी का नाम / पदनाम सहित
1	2	3	5

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त राज्य कर,

प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं० व दिनांक उक्त।

1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,

प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।